प्रेस विज्ञप्ति
18.03.2026

अपराध से प्राप्त आगम (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, गुरुग्राम ने एसआरएस ग्रुप के मामले में 2312 वास्तविक घर खरीदारों को लगभग 650 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को 11.03.2026 के आदेश के माध्यम से वापस करने का आदेश दिया है। वापस की गई संपत्तियों में एसआरएस ग्रुप द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी, एसआरएस रॉयल हिल्स, एसआरएस प्राइम फ्लोर, एसआरएस पर्ल यूनिटी, एसआरएस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, एसआरएस पर्ल हाइट और एसआरएस रिट्रीट फार्म्स के फ्लैट और प्लॉट शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एसआरएस ग्रुप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत फरीदाबाद, दिल्ली और सीबीआई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 81 प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की। समूह पर निवेशकों और बैंकों को 2200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। एसआरएस ग्रुप रियल एस्टेट और फाइनेंसिंग के व्यवसाय में था। प्रमोटरों ने घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को धोखा देकर संपत्ति के हेरफेर/आपराधिक दुरुपयोग आदि के लिए धोखाधड़ी/आपराधिक षडयंत्र/धोखाधड़ी/आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया था।

ईडी की जांच में पता चला कि एसआरएस समूह के आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने निवेशकों को उच्च प्रतिफल के वादे और विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के बदले एसआरएस समूह में निवेश करने के लिए लुभाया था। ऐसे निवेशों से प्राप्त धन एसआरएस समूह द्वारा बनाई गई सैकड़ों फर्जी कंपनियों में जमा किया गया और बाद में उसे बाहर ले जाया गया। इस मामले में पहले ही 2215.98 करोड़ रुपये का एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया जा चुका था और बाद में ईडी द्वारा माननीय विशेष अदालत पीएमएलए, गुरुग्राम के समक्ष 29.08.2022 की अभियोजन शिकायत दायर की गई थी। अदालत ने 31.10.2022 को अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया और 03.11.2025 के आदेश के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए।

वर्तमान घटनाक्रम से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित अन्य वास्तविक घर खरीदारों/वैध दावेदारों को संलग्न संपत्तियों की बहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। यह न्याय की खोज और धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप पीड़ित निवेशकों के अधिकारों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मामले में पहले, तीन अभियुक्तों, अर्थात् प्रवीण कुमार कपूर, सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को विशेष न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस के प्रकाशन का अनुरोध किया गया था। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, प्रवीण कुमार कपूर को नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यूएसए में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया और 02.11.2025 को यूएसए अधिकारियों द्वारा भारत निर्वासित कर दिया गया, जो वर्तमान में नीमका जेल, फरीदाबाद में बंद है। इसके अलावा, दो अन्य अभियुक्तों, अर्थात् सुनील जिंदल और जितेंद्र गर्ग को न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2026 के आदेश के माध्यम से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

इस मामले में इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 20.15 करोड़ रुपये के 78 फ्लैट वास्तविक घर खरीदारों को वापस कर दिए थे। इस मामले में संपत्तियों की वापसी/पुनर्स्थापन का कुल मूल्य 670 करोड़ रुपये (लगभग) है।

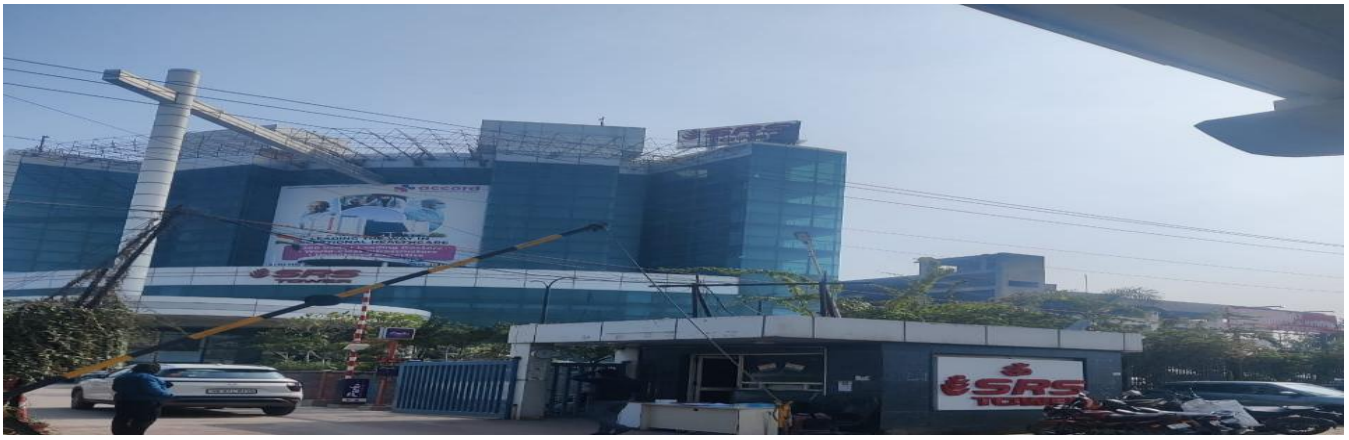
मामले की सुनवाई चल रही है।




SRS ROYAL HILLS SEC-87


SRS RESIDENCY 88


B3


SRS